

(2)

(199)

98
65

मुंगेर गजट २ सितम्बर १९७६

अ. दार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

मुंगेर, दि० ३१-८-७६

अधिसूचना संख्या १७७/रा०/७६ च कि इसके साथ अनुबद्ध तालिका के स्तम्भ १ में उल्लिखित भूधारक ने बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिकतम भूमि अर्जन अधिनियम (बिहार लैण्ड रिफार्मर्स फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एण्ड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैण्ड १९६१ (बिहार अधिनियम १२, १९६२) की धारा १५ (क) (२) के अधीन स्वेच्छा से उनके द्वारा धारित अधिशेष भूमि सरकार को समर्पित किया है ।

और चूंकि, उक्त विवरण के स्तम्भ १ से ४ तक में वर्णित भूमि अधिशेष है,

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-१५ की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनाय उक्त अधिशेष भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, अर्जित करते हैं ।

उपरोक्त अर्जन उक्त भूधारी के द्वारा धारित भूमि के विवरण प्रारूप के अंतिम प्रकाशन से संबंधित धारा-११ की उप-धारा (१) के अधीन होगा ।

॥ तालिका ॥

38

भूधारी का नाम—	अधिशेष भूमि का रकबा	पिता का नाम—	पता—
श्री महेन्द्र दास	के० परमानन्द दास	बेला-फौजदार दास गोसाय	सा० झंझरा धाना-बेलदौर जिला-मुंगेर

गांव	खाता न०	प्लॉट न०	क्षेत्रफल	
			एकड़	डिसमल
१	२	३	४	
ददरोजा	137	15/13	6-12	
	107	20/32	6-83	
	170	5/33	1-49	
	114	20/25	2-52	

कुल-17-06 एकड़

(कुल रकबा—सत्तरह एकड़ एवं छः डिसमल) मात्र
(संचिका संख्या—6/सीलिंग-स्वे०—200017/76)

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह० क० आर० एन० ठाकुर
सरकार के उप सचिव

(200)

मुंगेर गजट २ सितम्बर १९७६

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

★ अधिसूचना ★

मुंगेर दिनांक—३१-८-७६

अधिसूचना सं० १७७/110/७६ दिनांक—३१-८-७६ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(संचिका संख्या ६/सीलिंग स्वे० 200017/76)

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

ह० क० (आर० एन० ठाकुर)

सरकार के उप सचिव

NOTIFICATION

N. No. 177/R/76

Monghyr the 31-8-76

WHERE AS THE land holder mentioned in column of the Table here to annexed has voluntarily surrendered surplus land by him under section 15 (A) (2) of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of surplus land) Act. 1961, (Bihar Act 12 of 1962) to the Government.

And where as the land described in column 1 to 4 of the said Table is surplus land,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (i) of Section 15 of the said Act the Governor of Bihar is pleased to acquire for the purpose of the said Act, the said surplus land which is required for public purpose.

The aforesaid acquisition, shall be subject to the provision contained in subsection (1) of Section 11 relating to the final publication of the draft statement of the said landholder.